महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 74वीं बैठक
कार्यवृत्त (Minutes)

दिनांक : 05.03.2011 **प्रातः 11:30 बजे**

प्रबंध बोर्ड की 74वीं बैठक दिनांक 05.03.2011 को प्रातः 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबंध बोर्ड कक्ष में आयोजित हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1. प्रोफेसर भगीरथ सिंह, कुलपति — अध्यक्ष
2. प्रो. के.के..शर्मा, अजमेर — सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)
3. प्रो0 एस.एन.सिंह, अजमेर — सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)
4. डॉ० रघुनंदन शर्मा (डॉ० रघु शर्मा), विधायक, केकड़ी — सदस्य
   (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)
5. श्री कमल बैरवा, विधायक, निवाई — सदस्य
   (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)
6. प्रो. रमाकान्त, जयपुर — सदस्य
   (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)
7. प्रो. पी.एस.वर्मा, जयपुर — सदस्य
   (राजस्थान सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)
8. श्री मधुकर गुप्ता — सदस्य
   (प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर)
9. संभागीय आयुक्त — सदस्य
   (प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि)
10. निदेशक (आयुक्त), महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर — सदस्य
11. श्री बी.एल.सुनारिया, कुलसचिव — सदस्य सचिव

<u>अनुपस्थित सदस्य</u>

1. शासन सचिव, योजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर — सदस्य

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। माननीय ने प्रबंध बोर्ड के सभी सदस्यों से प्रबंध बोर्ड की कार्यवाही संपादित करने में सहयोग की अपेक्षा की, तदुपरांत प्रबंध बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति उपरांत प्रबंध बोर्ड की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

मद	विवरण	अनुभाग / विभाग
मद सं. 1	प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 28.08.2010 को सम्पन्न हुई 72वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (72) शैक्षणिक–I / मदसविवि / 2010 / 33626–637 दिनांक 09.09.2010 को प्रेषित की गई ।	**शैक्षणिक–I**
निर्णय	**मद आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।**	
मद सं. 2	दिनांक 28.08.2010 को सम्पन्न प्रबन्ध बोर्ड की 72वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–I)**	**शैक्षणिक–I**
निर्णय	**मद आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।**	
मद सं 3	प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय संख्या 10 दिनांक 28.08.10 में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रतिवेदन है कि वर्ष 1987 में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अध्यादेशों को इस शर्त के साथ अंगीकृत किया गया था कि इस विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार समय–समय पर इसमें जो भी परिवर्तन, परिवर्धन / संशोधन आवश्यक होंगे वे सक्षम प्राधिकार द्वारा किये जा सकेंगे । तदनुसार वर्ष 1987 से अब तक अनेक अध्यादेशों में संशोधन किये गये हैं, और समय–समय पर कार्यालय आदेश जारी हुए हैं । परीक्षा संबंधी अध्यादेश सीधे–सीधे छात्रों, शिक्षकों और शैक्षिक संस्थानों पर प्रभावशील होते हैं जिनकी कोई पुस्तिका या एकीकृत रूप में संकलन तैयार नहीं हुए है । इस प्रयोजन से प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 27.11.2009 के निर्णय संख्या 27 द्वारा डॉ0 जे.पी. व्यास को विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का प्रारूपण करने हेतु अधिकृत किया गया था । उन्होंने परीक्षा संबंधी सभी अध्यादेशों में अब तक हुए संशोधनों और इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार को ध्यान में रखते हुए अध्यादेशों के अद्यतन करके इकजाई रूप में प्रस्तुत किया हैं, जिनका प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य प्रो. के.के. शर्मा के संयोजकत्व में गठित समिति द्वारा परीक्षण किया गया हैं । अतः समिति की अनुशंषानुसार प्रस्तुत अध्यादेशों के प्रारूपण पर निर्णय करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– II)** (परिशिष्ठ अलग से प्रेषित की जायेगी)	**शैक्षणिक–I**
निर्णय	**मद आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।**	
मद सं. 4	विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 25 सितम्बर 2009 का मद सं. 12 एवं निर्णय निम्नानुसार हैः–	**शैक्षणिक–I**

मद– विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 10 जून,2009 के मद सं. 03 के निर्णयानुसार विधि अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 08.06.2009 की कार्यसूची में समिति की संस्तुति पर पुनर्विचार करने हेतु निम्नाकिंत समिति का गठन किया गया था:–

1. संकायाध्यक्ष कॉलेज
2. संकायाध्यक्ष विधि
3. प्रो0 के.एल.शर्मा

समिति की संस्तुतियॉ विद्या परिषद् की ओर से स्वीकार करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया । माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार उक्त समिति की दिनांक 18.08.2009 को आयोजित बैठक का कार्यवृत **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–19)** पर विचार करना ।

निर्णय– प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाने की संस्तुति की ।

उपरोक्त निर्णय के क्रम में समिति की संस्तुति विचारार्थ प्रस्तुत है **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– III)**

निर्णय प्रबंध बोर्ड द्वारा समिति का कार्यवृत अस्वीकृत किया गया।

मद सं. 5 **मद–** प्रबन्ध बोर्ड की निम्नांकित निर्णय सं. 10 दिनांक 07 अक्टूबर, 2006, के क्रम में वर्ष 2003 के पुनर्मूल्यांकन में हुई हेराफेरी के प्रकरण में जितने छात्रों को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ है उनका छात्रवार विवरण परीक्षा अनुभाग द्वारा कुलसचिव के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है। उक्त छात्रों के संबंध में प्रस्तावित की गई कार्यवाही **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XII)** विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 5 (ञ) एवं अध्यादेश 169 (H) के संदर्भ में किये जाने पर विचार करना। **परीक्षा**

<u>निर्णय सं. 10</u>

प्रबन्ध बोर्ड ने परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत सूचना को अभिलेखित किया। निर्णय किया कि –

(1) इस हेराफेरी प्रकरण से वास्तव में जितने छात्रों को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ है उनकी उपाधियाँ जारी नहीं की जावे और उनके परीक्षा परिणामों को नियमानुसार निरस्त करने की कार्यवाही की जावे।

(2) प्रकरण में कुलपति महोदय विभागीय जांच उपयुक्त जांच अधिकारी/जांच समिति के माध्यम से कराएं जो यह सुनिश्चत करे कि अंकों में की गई हेराफेरी किस स्तर पर की गई है और इस प्रकार की हेराफेरी के लिए कौन–कौन व्यक्ति दोषी है? जांच की प्रक्रिया में आवश्यक हो तो कम्प्यूटर विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जावे ।

(3) विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर केंद्र में उपयुक्त स्टाफ और संसाधन होने के कारण परीक्षा परिणाम संबंधी संपूर्ण कार्य विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर स्टॉफ द्वारा पूर्व की भांति कराया जावे। यदि संबंधित स्टॉफ में से कोई व्यक्ति कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करता है तो उसकी असमर्थता को कार्य के प्रति अकर्मण्यता और संदिग्धनिष्ठा मानते हुए विश्वविद्यालय के नियमानुसार कार्यवाही की जावे।''

निर्णय– पुनर्मूल्यांकन, 2003 में हुई हेराफेरी प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया तथा इसकी विस्तृत रिपोर्ट तथा विवरण अगली बैठक में रखने हेतु स्थगित किया गया। तब तक वर्ष 2005 एवं 2006 की उपाधियों को वस्तुस्थिति देखकर संबद्ध महाविद्यालयों को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट तथा विवरण **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– IV)** विचारार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय **निर्णय लिया गया कि प्रकरण की विस्तृत जांच की जावे और इसमें लिप्त अधिकारी/कार्मिक एवं अन्य व्यक्तियों का निर्धारण किया जाए । इस हेतु प्रबंध बोर्ड के निम्न सदस्यों की एक कमेटी गठित की जो अपनी संस्तुति तीन माह में प्रस्तुत करेगी :–**

प्रो0 पी.एस.वर्मा	**संयोजक**
प्रो0 रमाकान्त	**सदस्य**
प्रो0 के.के.शर्मा	**सदस्य**
प्रो0 एस.एन.सिंह	**सदस्य**
उप कुलसचिव, परीक्षा	**सदस्य सचिव**

मद सं. 6 प्रशासनिक अधिकारी संघ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में, जिसमें नियमित चयनित अधिकारियों को सेवा के 10 वर्ष पूर्ण होने पर, सहायक–कुलसचिव का वेतनमान रूपये 8000–13500 के स्थान पर रूपये 10,000–15,600 एवं उपकुलसचिव का वेतनमान रूपये 10,000–15,600 के स्थान पर 12,000–18,300 किए जाने के निवेदन पर विचार करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– V)** **संस्थापन**

निर्णय **निर्णय लिया गया कि प्रशासनिक अधिकारी संघ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगने हेतु प्रेषित किया जावे।**

मद सं. 7 प्रबन्ध बोर्ड की 72वीं बैठक दिनांक 28 अगस्त, 2010 के मद सं. 9 में स्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों द्वारा अतिरिक्त विषय में सम्बद्धता लेने पर निरीक्षण नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए निरीक्षक महाविद्यालय में भिजवाने के स्थान पर वांछित दस्तावेज विश्वविद्यालय में ही मंगवाकर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि यदि अध्यादेश में संशोधन होना हो तो संशोधन हेतु अगली बैठक में रखें । **शैक्षणिक–II**

अतः सम्बन्धित अध्यादेश 0.45 (2)(c) में निम्नानुसार संशोधन किये जाने पर विचार करना ।

Existing Provision	Proposed Provision
The Board of Inspection shall dispose of the matters regarding affiliation, recognition or, as the case may be, approval of the colleges and institutions subject to jurisdiction of the University as are referred to it by the committees mentioned in (b) above, and arrange for their inspection in the manner specified by the statutes and shall make recommendations to the Board of Management in respect of granting, continuing or cancelling affiliation, recognition or approval.	The Board of Inspection shall dispose of the matters regarding affiliation, recognition or, as the case may be, approval of the colleges and institutions subject to jurisdiction of the University as are referred to it by the committees mentioned in (b) above, and arrange for their inspection in the manner specified by the statutes and shall make recommendations to the Board of Management in respect of granting, continuing or cancelling affiliation, recognition or approval. **The matters of fresh affiliation in the additional subjects of the permanently affiliated colleges shall be disposed of without inspection of the college on the basis of the prescribed documents submitted by the college.**

निर्णय **प्रबंध बोर्ड ने संशोधन स्वीकार करते हुए निर्णय किया कि स्नातकोत्तर (विज्ञान) हेतु निरीक्षण अनिवार्य हो तथा यह संशोधन मात्र स्नातक स्तर के लिये ही हो । निरीक्षण मापदण्ड का निर्धारण भी हो।**

मद सं. 8 **स्पोर्टस बोर्ड**

प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय संख्या 06 (2) दिनांक 26.05.10 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय स्पोर्टस बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित पश्चिम क्षेत्रीय अन्तर्विश्वविद्यालय टेनिस (पुरूष) प्रतियोगिता 2010 के दौरान की गई टैंट व्यवस्था की क्रय व आपूर्ति आदेश प्रक्रिया में कमियॉ होने व प्रमाणीकरण नहीं होने के कारण भुगतान में हो रही कठिनाईयों पर विचार कर निर्णय करने हेतु गठित समिति की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 15.09.2010 पर विचार–विमर्श एवं निर्णय करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– VI)**

निर्णय **निर्णय किया गया कि टेंडर प्रक्रिया में शिथिलता प्रदान करते हुए गठित समिति की बैठक के कार्यवृत दिनांक 15.09.2010 को स्वीकार किया ।**

मद सं. 9 **माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करनाः–**

(1) <u>प्रतिवेदन है कि</u> वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ 6 (1) एफ.डी.(रूल्स)/2008 जयपुर दिनांक 29.09.10 के अनुरूप व शर्तो के अधीन विश्वविद्यालय कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2010 से महंगाई भत्ता 35 प्रतिशत के स्थान पर 45 प्रतिशत भुगतान की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये हैं । तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6 (41) विवले/मदसविवि/2010/37001–66 दिनांक 05.10.2010 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– VII)** — **लेखा एवं वित्त**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

(2) <u>प्रतिवेदन है कि</u> वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ 6 (5) एफ.डी.(रूल्स)/2009 जयपुर दिनांक 26.10.10 के अनुरूप व शर्तो के अधीन विश्वविद्यालय कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए प्रदत्त बोनस के भुगतान की स्वीकृति के आदेश दिनांक 26.10.2010 को माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये हैं । तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6 (41) विवले–ाा/मदसविवि/2010/सीओएफ/3059 दिनांक 26.10.2010 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– VIII)** — **लेखा एवं वित्त**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

(3) <u>प्रतिवेदन है कि</u> वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ 6 (1) एफ.डी.(रूल्स)/2008 जयपुर दिनांक 29.09.10 के अनुरूप व शर्तो के अधीन विश्वविद्यालय पेन्शनर्स/परिवार पेन्शनर्स को दिनांक 01.07.2010 से महंगाई राहत 35 प्रतिशत के स्थान पर 45 प्रतिशत भुगतान की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये हैं । तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6 (41) विवले/मदसविवि/2010/ 37121–186 दिनांक 06.10.2010 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– IX)** — **लेखा एवं वित्त**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

(4) <u>प्रतिवेदन है कि</u> वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ 6 (1) एफ.डी.(रूल्स)/2008 जयपुर दिनांक 23.04.2010 एवं 18.10.2010 के अनुरूप व शर्तो के अधीन विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों को जो पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 1998 में वेतन प्राप्त कर रहे है, को दिनांक 01.01.2010 एवं 01.07.2010 से महंगाई भत्ता क्रमशः 87 प्रतिशत एवं 103 प्रतिशत भुगतान की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये हैं । तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6 ( ) विवले/मदसविवि/2010/ 40224–289 दिनांक 10.11.2010 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– X)** — **लेखा एवं वित्त**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

(5) <u>प्रतिवेदन है कि</u> प्रबन्ध बोर्ड की 72वीं बैठक दिनांक 28.08.2010 में सोफिया कन्या महाविद्यालय, अजमेर से प्राप्त प्रार्थना पत्र जो कि स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय में 60 सीटों का एक सैक्शन खोलने से — **शैक्षणिक–II**

सम्बन्धित था, पर बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में महाविद्यालय को योग्य फैकल्टी 3 माह में नियुक्त करने की शर्त के अध्यधीन विश्वविद्यालय पत्रांकः 37323 दिनांक 9.10.2010 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XI)** के द्वारा सत्र 2009–2010 से वाणिज्य संकाय में 60 सीटों का एक अतिरिक्त सैक्शन हेतु स्वीकृति जारी की गई ।

कार्यवृत्त में टंकण में त्रृटिवश सीट वृद्धि के स्थान पर सम्बद्धता टंकित हो गया है, को सीट अभिवृद्धि पढ़ा जावे।

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

(6) प्रतिवेदन है कि UGC Regulations on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in Universities & Colleges and measures for the maintenance of standards in Higher Education 2010 दिनांक 30–6–2010 में वर्णित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/वांछित योग्यताओं और अहर्ताओं को माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरन्त प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की है । तदनुसार विश्वविद्यालय के "Ordinances Governing Service Conditions etc. of University Teachers and Employees 1998" के अंतर्गत Schedule-I (Categories and Nature of Teaching and Non-Teaching Post in the University) में उक्त पदों के लिए विद्यमान शैक्षणिक योग्यताओं एवं अर्हताओं को संशोधित रूप में प्रवृत किया गया । तद्नुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 13 ( ) शैक्ष–प्रथम/मदसविवि/2010/31503–891 दिनांक 27.08.10 जारी की गयी । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XII)** **शैक्षणिक–I**

निर्णय **मद आगामी बैठक हेतु स्थगित किया ।**

(7) प्रतिवेदन है कि UGC Regulations on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in Universities & Colleges and measures for the maintenance of standards in Higher Education 2010 दिनांक 30–6–2010 में वर्णित विश्वविद्यालय के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/वांछित योग्यताओं और अहर्ताओं को माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरन्त प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की है । तदनुसार विश्वविद्यालय के "Ordinances Governing Service Conditions etc. of University Teachers and Employees 1998" के अंतर्गत Schedule-III A-II-(b) में उक्त पदों के लिए विद्यमान शैक्षणिक योग्यताओं एवं अर्हताओं को संशोधित रूप में प्रवृत्त किया गया । तद्नुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 13 ( ) शैक्ष–प्रथम/मदसविवि/2010/69–459 दिनांक 05.01.11 जारी की गयी । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XIII)** **शैक्षणिक–I**

निर्णय **मद आगामी बैठक हेतु स्थगित किया ।**

(8) प्रतिवेदन है कि माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार डॉ. के.एल. शर्मा, सेवानिवृत प्रोफेसर विधि विभाग, राजस्थान **संस्थापन**

विश्वविद्यालय, जयपुर को कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/2008/51064 दिनांक 19.11.2008 में वर्णित प्रावधानान्तर्गत दिनांक 18.12.2010 से 06 माह की अवधि हेतु मानदेय रूपये 15,000/–प्रतिमाह पर, विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/2011/1267 दिनांक 08.01.2011 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XIV)**

निर्णय **पुष्टि की गयी ।**

(9) <u>**प्रतिवेदन है कि**</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार प्रो. टी.के. माथुर (सेवानिवृत्त) हाल निवासी 155/10, सिविल लाईन्स, अजमेर को कार्यग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए निदेशक–स्टूडेन्टस एडवाइजरी ब्यूरो के रूप में रूपये 15000/– प्रतिमाह के मानदेय पर नियुक्त किया गया है । इस बाबत् कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( ) संस्था/मदसविवि/2010/46597–607 दिनांक 15.12.2010 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XV)** **संस्थापन**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

मद सं. 10 प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 5 दिनांक 08.01.2010 द्वारा डॉ. एन.एम. खण्डेलवाल, सेवानिवृत्त प्रोफेसर के संबंध में लिए गए निर्णय के विरूद्ध डॉ. एन.एम. खण्डेलवाल द्वारा कुलाधिपति, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर को दिनांक 17.10.2010 के पत्र द्वारा की गई अपील पर विचार करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XVI)** **संस्थापन**

निर्णय **मद आगामी बैठक में रखने हेतु स्थगित किया ।**

मद सं. 11 प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 17 दिनांक 28.08.2010 की अनुपालना में श्री राजकुमार कोची, निलम्बित सहायक कर्मचारी को आरोप–पत्र जारी कर विभागीय जाँच की कार्यवाही की गई । श्री कोची को दिए गए आरोप–पत्र के जवाब में उन्होंने पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे में लगाए गए आरोपों से इन्कार किया है और प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं । अतः माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्ययधीन निलम्बित कर्मचारी श्री राजकुमार कोची को बहाल किए जाने पर विचार करना । **कार्यसूची का परिशिष्ठ– XVII)** **संस्थापन**

निर्णय **श्री राजकुमार कोची, निलंबित सहायक कर्मचारी को मानवीय आधार पर माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्ययधीन बहाल किये जाने का निर्णय किया गया।**

मद सं. 12 प्रतिवेदन है कि विश्वविद्यालय अध्यादेश 124.8 A, B के अनुसार "शोध आवंटन समिति" (RAC) का गठन निम्नानुसार है – **शोध**

A – विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभागों के लिए आर.ए.सी. का गठनः–

1- Dean PG Studies (Chairperson)
2- Dean Faculty
3- Head of the Department
4- Research Supervisors

B – महाविद्यालय के लिए आर.ए.सी. का गठनः–

1- Principal (Chairperson)
2- Dean Colleges
3- Head/Incharge of the Department
4- Research Supervisors

अपरिहार्य कारणों से संयोजक की अनुपस्थिति में उनके स्थान पर समिति के संयोजक का दायित्व वहन करने हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा निम्नांकित को अधिकृत किया गयाः–

1. विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभागों के लिए गठित समिति में Dean PG Studies की अनुपस्थिति में Dean College को उनका लिंक ऑफिसर नियुक्त किया है ।
2. महाविद्यालयों के लिए गठित समिति में Principal की अनुपास्थिति में कार्यवाहक प्राचार्य को संयोजक मान्य किया हैं ।
3. महाविद्यालयों के लिए गठित समिति में प्राचार्य एवं कार्यवाहक प्राचार्य दोनों की अनुपस्थिति में Dean Colleges को संयोजक नियुक्त किया है ।

अध्यादेश 124.8 A, B (iv) के नीचे निम्नांकित शब्दावली जोड़ा जाना प्रस्तावित हैं–

" In the absence of Chairpersons of either of the Committees mentioned as above, the Vice-Chancellor shall be authorised to nominate the Chairperson of the respective Committees."

निर्णय **उक्त कार्यवाही की पुष्टि की गई । अध्यादेश में प्रस्तावित उक्त संशोधन को स्वीकार किया ।**

मद सं. 13 म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम संख्या 14 के अन्तर्गत निम्नांकित कठिनाई के निराकरण पर विचार करना : **संस्थापन**

"श्री प्रताप सिंह तोमर, अनुभाग अधिकारी के निधन पर, उन पर आश्रित उनके पुत्र श्री महीप सिंह तोमर द्वारा श्री तोमर के निधन की तारीख से 45 दिन के भीतर नियमानुसार नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

आवेदक की योग्यता के आधार पर कनिष्ठ लिपिक के पद की नियुक्ति की पात्रता होने के कारण तथा उस समय कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त नहीं होने के कारण नियमानुसार उसका नाम प्रतीक्षा सूची में रखा गया ।

दिनांक 31.07.10 को कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त उपलब्ध होने पर श्री महीप सिंह की नियुक्ति हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गई तो आवेदक श्री महीप सिंह एवं उनकी माता श्रीमती दीपक तोमर से यह पत्र प्राप्त हुआ कि चूंकि महीप सिंह अध्ययनरत है इसलिए उसकी बहिन कु0 प्रणिता तोमर को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करें । जबकि कु0 प्रणिता तोमर ने नियमानुसार निर्धारित समय में इस हेतु न तो आवेदन किया था और न ही इस प्रकार आवेदक

को बदलने का कोई प्रावधान नहीं हैं । अतः इस कठिनाई के निराकरण पर विचार करना ।"

निर्णय **स्व0 श्री प्रतापसिंह तोमर की आश्रित कुमारी प्रणिता तोमर के आवेदन को अनुकम्पात्मक नियुक्ति के लिए स्वीकार करने का निर्णय लिया।**

मद सं. 14 **लेखा एवं वित्त**

प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 31 दिनांक 28.08.2010 की अनुपालना में स्व. श्री पी.एस. तोमर, अनुभाग अधिकारी एवं स्व. श्री अशोक शर्मा, सहायक कर्मचारी के चिकित्सा पुनर्भरण बिलों में विश्वविद्यालय के चिकित्सा एवं परिचर्या नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार पुनर्भरण की राशि का आकलन किया गया, जो निम्नानुसार है :

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	प्रस्तुत बिल की राशि	नियमानुसार पुनर्भरण की राशि	शेष राशि
1	स्व. श्री पी.एस. तोमर	90211.72	36103.38	54108.34
2	स्व. श्री अशोक शर्मा	45472.00	20472.00	25000.00

दर्शित शेष राशि को कुलपति के विवेकाधीन कोष से भुगतान करने के प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय के संबंध में लेख है कि प्रबन्ध बोर्ड ने निर्णय संख्या 14 दिनांक 26.05.2010 द्वारा कुलपति के विवेकाधीन कोष को समाप्त कर दिया है । अतः इस वस्तुस्थिति के आधार पर विचार कर निर्णय करना ।

निर्णय **प्रकरण में निर्णय लिया गया कि स्व0 श्री पी.एस.तोमर एवं स्व0 श्री अशोक शर्मा के चिकित्सा हेतु प्रस्तुत बिलों का भुगतान करने का निर्णय लिया।**

मद सं 15 **स्पोर्टस बोर्ड**

स्पोर्टस बोर्ड की संस्तुति संख्या 6 दिनांक 18.08.2009 द्वारा राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार संविदा पर नए कोचेज (Young and Fresh Coaches) रखे जाने हेतु गठित चयन समिति, जो प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 45 दिनांक 27.11.2009 द्वारा अनुमोदित है, तथा प्रबन्ध बोर्ड द्वारा निर्णय संख्या 6 (1) दिनांक 26.05.2010 द्वारा संविदा पर नियुक्त किए जाने के निर्णय की अनुपालना में चयन समिति की दिनांक 26.11.2010 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XVIII)** (सील्ड लिफाफा पटल पर रखा जायेगा)

निर्णय **कार्यसूची का परिशिष्ठ–XVIII में प्रस्तुत चयन समिति की अनुशंषाओं (परिशिष्ठ–I) का अनुमोदन किया ।**

मद सं. 16 **लेखा एवं वित्त**

वित्त समिति की दिनांक 25.01.2011 को सम्पन्न 29वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XIX)**

निर्णय **प्रकरण को प्रबंध बोर्ड की आगामी बैठक दिनांक 26.03.2011 में रखने का निर्णय किया गया। यदि बैठक का आयोजन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से संभव न हो पाये तो सर्कुलेशन के माध्यम से प्रकरण निस्तारित करने का निर्णय भी लिया गया।**

मद सं. 17

प्रबन्ध बोर्ड की 73वीं विशेष बैठक दिनांक 28.01.2011 के मद संख्या 01 के निर्णय के क्रम में विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर के पत्र क्र.एफ.26 (3) आरबी/2007/687 दिनांक 08.02.2011 पर

विचार करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XX)**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ– XX पर विचार करके प्रबंध बोर्ड ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ''महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में वर्ष 2000 से डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी का नियमों में अस्तित्व नहीं है। प्रबंध बोर्ड का यह मत है कि यदि वे डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी के विशेषज्ञ (Expert) सदस्य होते तो भी इस रूप में उन्हें विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं माना जा सकता है। अतः प्रबंध बोर्ड ने पुनर्विचार कर कुलपति चयन समिति में प्रो0 बी.एम.शर्मा, कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को नामित करने के सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया।''**

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा वर्ष 2010 में भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के तत्वाधान में कबड्डी एवं बास्केट बॉल के अखिल भारतीय स्तर के चार बड़े टूर्नामेंटों के एक साथ सफल आयोजन की प्रबंध बोर्ड द्वारा मुक्त कंठ से सराहना की गयी। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार के विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मंत्रालय की 12वीं प्रोजेक्ट एडवाइजरी समिति की बैठक के सफल आयोजन पर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सराहना की गई । दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय युवा सांस्कृतिक कार्यक्रम के सफल आयोजन की सराहना की गई ।

अन्त में बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ सम्पन्न हुई।

कुलसचिव

कुलपति